

संसद सदस्यों के वशिषाधिकार

प्रलिमिंस के लिये:

भारत का उपराष्ट्रपति, प्रवर्तन नदिशालय (ईडी), केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई), आयकर वभाग (आईटी), अनुच्छेद 105

मेन्स के लिये:

संसद सदस्यों के वशिषाधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारत के उपराष्ट्रपति** ने **संसदीय वशिषाधिकारों** के बारे में संसद सदस्यों की गलत धारणाओं पर प्रकाश डाला कि संसदीय सत्र के दौरान जाँच एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

- राजनीतिक प्रतदिवंदवियों को फँसाने के लिये सरकार द्वारा **प्रवर्तन नदिशालय (ईडी)**, **केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई)** और **आयकर वभाग (आईटी)** जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ कुछ राजनीतिक दलों द्वारा वरिध प्रदर्शन किया गया है।

संसदीय वशिषाधिकार:

परचिय:

- संसदीय वशिषाधिकार का आशय संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त वशिष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूट प्रदान करने से है।
 - इन वशिषाधिकारों को **भारतीय संवधान के अनुच्छेद 105** में परभिषति किया गया है।
- इन वशिषाधिकारों के तहत संसद सदस्यों को उनके कर्तव्यों के दौरान दिये गए किसी भी बयान या कार्य के लिये किसी भी नागरिक दायित्व (लेकिन आपराधिक दायित्व नहीं) से छूट दी गई है।
 - वशिषाधिकारों का दावा तभी किया जाता है जब व्यक्ति सदन का सदस्य हो।
 - जब वह सदस्य नहीं रहता है तो उसके वशिषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है।
- संसदीय वशिषाधिकारों को व्यापक रूप से संहिताबद्ध करने के लिये कोई वशिष कानून नहीं बनाया गया है बल्कि वे पाँच स्रोतों पर आधारित हैं:
 - संवैधानिक प्रावधान
 - संसद द्वारा बनाए गए वभिन्नि कानून
 - दोनों सदनों के नयिम
 - संसदीय सम्मेलन
 - न्यायिक व्याख्या

वशिषाधिकार:

संसद में बोलने की स्वतंत्रता:

- अनुच्छेद 19** (2) के तहत एक नागरिक को दी गई वाक् और अभवियक्ता की स्वतंत्रता संसद के प्रत्येक सदस्य को प्रदान की गई भाषण और अभवियक्ता की स्वतंत्रता से अलग है।
- भारतीय संवधान के अनुच्छेद 105(1) के तहत इसकी गारंटी दी गई है लेकिन स्वतंत्रता उन नयिमों और आदेशों के अधीन है जो संसद की कार्यवाही को वनियमित करते हैं।

सीमाएँ:

- संवधान के अनुच्छेद 118 के तहत कहा गया है कि अभवियक्ता की स्वतंत्रता संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार और संसद के नयिमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन होनी चाहिये।
- संवधान के अनुच्छेद 121 के तहत संसद के सदस्यों को **सर्वोच्च न्यायालय** और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा

करने से प्रतबंधित किया गया है।

■ गरिफ्तारी से मुक्ति:

- किसी भी सदस्य को दीवानी मामले में सदन के स्थगन के 40 दिनों पहले और बाद में तथा सदन के सत्र के दौरान भी गरिफ्तार नहीं किया जाएगा।
- इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी सदस्य को उस सदन की अनुमति के बिना संसद की सीमा के भीतर गरिफ्तार नहीं किया जा सकता जिससे वह संबंधित है।
- यदि संसद के किसी सदस्य को हरिसत में लिया जाता है, तो गरिफ्तारी के कारण के बारे में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अध्यक्ष को सूचित किया जाना चाहिये।
 - लेकिन किसी सदस्य को उसके खिलाफ आपराधिक आरोपों में **नविवारक नरिंध अधिनियम**, आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA), **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)**, या ऐसे किसी भी अधिनियम के तहत आपराधिक आरोपों में सदन की सीमा के बाहर गरिफ्तार किया जा सकता है।

■ कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार:

- संविधान के **अनुच्छेद 105(2)** के तहत सदन के सदस्य के अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को सदन की कोई रिपोर्ट, चर्चा आदि प्रकाशित करने के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
 - सर्वोपरि और राष्ट्रीय महत्त्व के लिये यह आवश्यक है कि संसद में क्या हो रहा है, इसके बारे में जनता को जागरूक करने के लिये कार्यवाही के बारे में सूचित किया जाना चाहिये।

■ अजनबियों को बाहर करने का अधिकार:

- सदन के सदस्यों के पास अजनबियों यानी जो सदन के सदस्य नहीं हैं, को **कार्यवाही से बाहर करने की शक्ति और अधिकार** है। सदन में स्वतंत्र एवं नष्पिपक्ष चर्चा सुनिश्चित करने के लिये यह अधिकार बहुत आवश्यक है।

■ उपराष्ट्रपति के अनुसार:

- उपराष्ट्रपति के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन कर सकें।
 - विशेषाधिकारों में से एक यह है कि **संसद सदस्य को संसदीय सत्र या समिति की बैठक शुरू होने से 40 दिनों पहले और उसके 40 दिनों बाद तक सविलि मामले में गरिफ्तार नहीं किया जा सकता है।**
 - यह **विशेषाधिकार** पहले से ही **सविलि प्रक्रिया संहिता, 1908** की धारा 135A के तहत शामिल है।
 - हालाँकि आपराधिक मामलों में **संसद सदस्य और आम नागरिक पर समान कानून लागू होते हैं।**
 - इसका अर्थ है कि संसद सदस्य को सत्र के दौरान या अन्यथा किसी आपराधिक मामले में गरिफ्तारी से कोई छूट नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:

- **केराज्य बनाम के. अजीत और अन्य (2021)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने के लिये प्रवेश द्वार नहीं हैं, खासकर इस मामले में आपराधिक कानून प्रत्येक नागरिक की कार्रवाई को नियंत्रित करता है।
- जुलाई 2021 में **सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार की उस याचिका को खारज कर दिया था, जिसमें विधानसभा में आरोपित अपने विधायकों** के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की मांग की गई थी।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार प्रतिक्रिया का माध्यम नहीं है और जो विधायक बर्बरता एवं अपराध में लपित हैं, वे संसदीय विशेषाधिकार तथा आपराधिक अभियोजन से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं।

आगे की राह

- संसद के सुचारू संचालन के लिये सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किये जाते हैं लेकिन ये अधिकार हमेशा **मौलिक अधिकारों** के अनुरूप होने चाहिये क्योंकि ये हमारे प्रतिनिधि हैं और हमारे कल्याण हेतु काम करते हैं।
 - यदि विशेषाधिकार मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं हैं, तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये लोकतंत्र का महत्त्व ही खो जाएगा।
- यह संसद का कर्तव्य है कि वह संविधान द्वारा गारंटीकृत किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन न करे। सदस्यों को भी अपने विशेषाधिकारों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिये, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिये।

स्रोत: द हिंदू